भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1383
07 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियां

1383. श्री हिबी ईडन:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य-सूची की प्रविष्टि संख्या 32 के अंतर्गत सहकारी समितियां राज्य का विषय हैं, यदि हां, तो इसके लिए एक अलग से केंद्रीय मंत्रालय बनाए जाने की क्या आवश्यकता है:
(ख) क्या सहकारी समितियों के लिए एक मंत्रालय स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया गया था;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इस मंत्रालय को शुरू करने का क्या औचित्य है;
(घ) क्या राज्यों द्वारा सहकारी समितियों को अभिशासित करने हेतु एक केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना करने का अनुरोध किया गया था;
(ङ) यदि नहीं, तो क्या यह एक राज्य का विषय होने के कारण राज्यों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए और राज्यों को इस मंत्रालय की स्थापना की जानकारी देने के लिए खुली चर्चा की गई थी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत हासिल किए जाने हेतु किन्हीं लक्ष्यों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (च): हमारे देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है। "सहकार से समृद्धि" के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार, जैसा कि राजपत्र अधिसूचना दिनांक 06.07.2021 में अधिसूचित किया गया है, मंत्रालय को निम्नलिखित अधिदेश आवंटित किया गया है:

1. सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारी गतिविधियों का समन्वय

2. "सहकारिता से समृद्धि की ओर" परिकल्पना को साकार करना,

3. देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाना,

4. देश के विकास के लिए, अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना,

5. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे का निर्माण,

6. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले,

7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,

8. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित न रही लक्ष्यों वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन,

9. सहकारिता विभागों और सहकारिता संस्थाओं के कर्मियों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित) ।

****